न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 110/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय इण्डियन रेयोन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात–362266 तथा शाखा कार्याल जी.एस. ट्रेड सेंटर, 534–536, नेमी सागर, थर्ड फ्लोर, वैशाली नगर, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम व अधिकृत प्रतिनिधि अमित भारद्वाज

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सतवीर पुत्र भागीरथ,** निवासी पट्टा नं. 3/71, वार्ड नं. 4, हरिजन बस्ती, ग्राम दीनारपुरा, तहसील व जिला सीकर–332024 राजस्थान
   अन्य पताः– शॉप नं. 2, ट्रक यूनियन के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर राजस्थान–332001
2. **मीरा देवी पत्नी सतवीर,** निवासी पट्टा नं. 3/71, वार्ड नं. 4, हरिजन बस्ती, ग्राम दीनारपुरा, तहसील व जिला सीकर–332024 राजस्थान
   अन्य पताः– 188, ग्राम दीनारपुरा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान–332024

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 29 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मुकुल कुमार शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सतवीर पुत्र भागीरथ** एवं **मीरा देवी पत्नी सतवीर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सतवीर पुत्र भागीरथ** के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा नं. 3/71, वार्ड नं. 4 हरिजन बस्ती, ग्राम दीनारपुरा,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ग्राम पंचायत डाडिया, पंचायत समिति पीपराली, तहसील व जिला सीकर(राज.) में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 5400 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सार्वजनिक भूमि, पश्चिम दिशा में रामूराम की ओमकार/गुवाडी, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में भागीरथ जाट की भूमि है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹ 4,95,000/– (अक्षरे रूपये चार लाख पिचानवें हजार)** तथा **₹ 7,57,498/– (अक्षरे रूपये सात लाख सत्यावन हजार चार सौ अठानवें) कुल ₹ 12,52,498/– (अक्षरे रूपये बारह लाख बावन हजार चार सौ अठानवें)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री संदीप कुमार सैनी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सतवीर पुत्र भागीरथ** एवं **मीरा देवी पत्नी सतवीर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सतवीर पुत्र भागीरथ** के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा नं. 3/71, वार्ड नं. 4 हरिजन बस्ती, ग्राम दीनारपुरा, ग्राम पंचायत डाडिया, पंचायत समिति पीपराली, तहसील व जिला सीकर(राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 5400 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में सार्वजनिक भूमि, पश्चिम दिशा में रामूराम की ओमकार/गुवाडी, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में भागीरथ जाट की भूमि है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **29 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)